भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3808
उत्तर देने की तारीख – 25/03/2026

यूडीआईडी की अनुमोदन दर

3808. श्रीमती सागरिका घोष:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) योजना के अंतर्गत आवेदनों के प्रक्रमण में औसतन लगभग 200 दिनों की देरी हो रही है;

(ख) आवेदनों के प्रक्रमण में इस प्रकार की लंबी देरी के कारण क्या है और अनुमोदन में तेजी लाने के लिए किए गए या प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने यूडीआईडी योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान या पंजीकरण शिविर आयोजित किए हैं; और

(घ) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्राप्त और स्वीकृत यूडीआईडी आवेदनों की कुल संख्या और दिव्यांग व्यक्तियों की संगत संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): 'विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)' उप-योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। यूडीआईडी उप-योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म नामत: यूडीआईडी पोर्टल (https://swavlambancard.gov.in/) स्थापित किया गया है, जिसमें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) जारी करने हेतु अधिकृत अस्पतालों को जोड़ा है।

यूडीआईडी पोर्टल के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रक्रिया में लगने वाला औसत समय दो दिनों से लेकर 600 दिनों से अधिक तक है। इस प्रावधान को यूडीआईडी प्रक्रिया की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

(ख): केंद्र सरकार एक नीति निर्माता और केंद्रीकृत ऑनलाइन यूडीआईडी पोर्टल की सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है, जबकि यूडीआईडी कार्ड संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अधिकृत अधिसूचित अस्पतालों द्वारा दिव्यांगता के आकलन के आधार पर जारी किया जाता है। चूंकि दिव्यांगता प्रमाणन और कार्ड जारी करने के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और अवसंरचना की आवश्यकता होती है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए कार्य की गति, विलंब के कारण और समय-सीमा संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध चिकित्सा अवसंरचना और विशेषज्ञों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। हालांकि, केंद्र सरकार ने दिव्यांगता प्रमाणन प्रणाली को एकरूप, मानकीकृत और अस्पतालों तथा दिव्यांगजनों दोनों के लिए सुगम्य बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. दिव्यांगता आकलन दिशा-निर्देशों को दिनांक 12.03.2024 को संशोधित किया गया है, जिसमें उन स्थानों पर जहां विशेषज्ञों की कमी के कारण विलंब और लंबित मामलों की समस्या है, निजी आकलन विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत अस्पतालों की संख्या अधिकतम करें।

ii. देशभर में आठ क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग 6000 आकलनकर्ता विशेषज्ञों सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा अधीक्षकों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया, ताकि एकरूप, निष्पक्ष और कुशल आकलन सुनिश्चित किया जा सके।

iii. अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि यूडीआईडी परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके और यूडीआईडी कार्ड का समय पर निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

iv. विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

v. विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों/सीआरसी में यूडीआईडी नामांकन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो दिव्यांगजनों की सहायता करते हैं।

(ग): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत जन जागरूकता और नामांकन को, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों को लक्षित करते हुए, बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। विभाग ने राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से नामांकन शिविर आयोजित करने, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुभाषी सूचना प्रसारित करने तथा जिला चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने जैसे कदम उठाए

हैं, ताकि आवेदन और प्रमाणन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सोशल मीडिया हैंडल का भी यूडीआईडी परियोजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।

(घ): दिनांक 19.03.2026 की स्थिति के अनुसार, यूडीआईडी के लिए प्राप्त, और स्वीकृत आवेदनों सहित उनमें से यूडीआईडी कार्ड प्राप्त दिव्यांगजनों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** पर दी गई है।

अनुबंध

"यूडीआईडी की अनुमोदन दर" के संबंध में पूछे गए दिनांक 25.03.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3808 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत यूडीआईडी आवेदन और यूडीआईडी कार्ड प्राप्त दिव्यांगजनों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8090	6991
आंध्र प्रदेश	1026575	987831
अरुणाचल प्रदेश	5134	4654
असम	369770	244998
बिहार	959426	718288
चंडीगढ़	16822	13003
छत्तीसगढ	284855	275904
दिल्ली	209320	110385
गोवा	17188	13307
गुजरात	591875	495698
हरियाणा	384659	237286
हिमाचल प्रदेश	130020	110097
जम्मू और कश्मीर	333499	229888
झारखंड	283090	212893
कर्नाटक	1211032	934949
केरल	539131	428442
लद्दाख	4385	4271
लक्षद्वीप	1636	1390
मध्य प्रदेश	1281661	1009305
महाराष्ट्र	1922886	1416490
मणिपुर	22205	16924
मेघालय	35453	34661
मिजोरम	8014	7525
नागालैंड	4539	3965
ओडिशा	1474262	949493
पुदुचेरी	26259	24661
पंजाब	521499	384458
राजस्थान	886754	741018
सिक्किम	6295	5906
तमिलनाडु	1118084	1022956
तेलंगाना	954237	875807
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6201	4724
त्रिपुरा	46920	45452
उत्तर प्रदेश	2172911	1676372
उत्तराखंड	115797	106725
पश्चिम बंगाल	398321	234379
